"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2011—आषाढ़ 24, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री विजयेन्द्र, भा.प्र.से. (एएम-1991) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं सचिव, खनिज साधन विभाग तथा आयुक्त सह संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को तत्काल प्रभाव से केवल अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री के. सुब्रमण्यम, भा.व.से., सचिव, मुख्य मंत्री, सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, आयुक्त सह संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2011

क्र. 4591/1638/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता, जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः तीन वर्ष की कालावधि हेतु जांजगीर-चांपा जिले के लिये शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2011

क्र. 4593/1638/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता, जांजगीर-चांपा जिला-जांजगीर-चांपा को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः तीन वर्ष की कालावधि हेतु जिला जांजगीर-चांपा के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible] **कुमार तिवारी,** अतिरिक्त सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक एफ 2-21/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 एवं 2 के कॉलम (7) में, शब्द "शासन" के पश्चात् शब्द "अर्द्धशासकीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त" का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक एफ 2-21/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जून, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 25th June 2011

No. 2-21/2010/IX/55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Health (Indian System of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In serial number 1 and 2 of column (7) of Schedule-III, after the words "Government" the words "Semi-Government and other recognised" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 10-13/2011/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

मुख्यमंत्री चलित झूलाघर योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री चलित झूलाघर योजना, 2011" होगा.

(ii) (अ) योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे संस्थान जहां 500 से अधिक निर्माणी श्रमिक कार्यरत हैं, के लिए चलित झूलाघर पंजीकृत मंडल द्वारा बनाया जावेगा.

(ब) ऐसे स्थान जहां पर निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक निवास करते हैं.

(iii) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा.

(iv) योजना के प्रावधान मंडल की बैठक दिनांक 04-08-2010 के बैठक में लिये निर्णय दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना का विवरण :—

(i) प्रत्येक झूलाघर के कार्यकर्ताओं को राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए घोषित न्यूनतम वेतन प्रतिमाह मानदेय देय होगा.

(ii) प्रत्येक झूलाघर के सहायिकाओं को राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए घोषित न्यूनतम वेतन प्रतिमाह मानदेय देय होगा.

(iii) प्रति झूलाघर पूरक पोषण (26 दिन के लिए) रुपये 07/- प्रति बालक/बालिका प्रतिदिन की दर से 25 बच्चों के लिए एक झूलाघर के लिए देय होगा.

(iv) आपात दवाईयां एवं आकस्मिक व्यय रुपये 500/- प्रतिमाह प्रति झूलाघर देय होगा.

(v) एक वर्ष के लिए रुपये 25,000/- (प्रत्येक नए झूलाघर को आरंभ में रुपये 25,000/-) तत्पश्चात् प्रतिवर्ष रुपये 5,000/- झूलाघर में बच्चों से संबंधित खिलौने एवं सामग्री के लिए प्रत्येक झूलाघर के लिए देय होगा.

(स) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार स्थानीय सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को होगा.

(य) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2011

क्रमांक एफ 8-4/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी., कोरबा के बॉयलर क्र.-एम.पी./3522 को दिनांक 24-04-2011 से 23-10-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-16/गृह/दो/परीक्षा/2011.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19-01-2011 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प्रशांत शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-20/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प्रशांत शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-21/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व भू-अभिलेख विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री बिहारी लाल जुर्री	अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-28/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व, सहायक जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तक सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री समीर विश्नोई	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री सौमिल रंजन चौबे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-30/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "प्रथम लेखा" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री बरखा कासू	फिजियोथैरेपिस्ट	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री लादूराम मंडावी	उप अंकेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री लक्ष्मी पटेल	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री फरहीन नाज	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री हिरल व्यास	सुपरवाईजर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	सुश्री विजया मिश्रा	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री रश्मिदेवी वर्मा	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	सुश्री बबली साहू	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री हीरा गवर्ना	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	सुश्री ललती जैन	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-36/गृह-दो/परीक्षा/2011.—जनसम्पर्क विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संतकुमार चन्द्राकर	सहा. जन. अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री वेदलाल मारकण्डेय	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा	
3.	श्री मनराखन मरकाम	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-37/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पशु चिकित्सा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों) के द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. शिवांगी पाण्डेय	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-40/गृह-दो/परीक्षा/2011.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय प्रश्न" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संतकुमार चन्द्राकर	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री वेदलाल मारकण्डेय	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा		
3.	श्री मनराखंन मरकाम	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-44/गृह-दो/परीक्षा/2011.—जनसम्पर्क विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न पत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संतकुमार चन्द्राकर	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री वेदलाल मारकण्डेय	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-45/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सभी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नान साय मिंज	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री मोहन लाल राणा	सहायक संचालक	उत्तीर्ण
3.	श्री मनोज कुमार पैकरा	सहायक संचालक	उत्तीर्ण
4.	सुश्री लक्ष्मी पटेल	पर्यवेक्षक	उत्तीर्ण
5.	सुश्री रश्मि देवी वर्मा	पर्यवेक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-49/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग के सहायक अभियंता/उप अभियंता (डिग्री/डिप्लोमाधारियों) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र-4 "लेखा व स्थापना" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री अमरेश दास	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा		
2.	सुश्री रेखा चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-50/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र-5 "ऊर्जा विभाग के प्रश्नपत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री चन्द्रकांत	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	सुश्री निर्मला मौर्या	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
3.	श्री अमरेश दास	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा		
4.	श्री पुरीराम चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण
5.	सुश्री रेखा चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक एफ 9-51/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र Insulation Co-ordination & Hazardous Area (Without Books) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री, उप

अभियंता एवं पर्यवेक्षकों के लिये सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री चन्द्रकांत	उप अभियंता	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
2.	श्री अमरेश दास	उप अभियंता	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा	
3.	श्री पुरीराम चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण
4.	सुश्री रेखा चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-4/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
3.	श्री प्रशांत शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-08/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री लक्ष्मी पटेल	पर्यवेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री रश्मि देवी वर्मा	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा	
3.	श्री हेमराज सोनबेर	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-17/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "वन विधि" प्रश्नपत्र-1(बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री दिलराज प्रभाकर	भा.व.से.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-19/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री अभिषेक शाण्डिल्य	एस. डी. ओ. पी.	उत्तीर्ण
2.	सुश्री नीतू कमल	सी. एस. पी.	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
3.	सुश्री पारूल माथुर	सी. एस. पी.	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
4.	श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल	सहायक पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री दावुलूरी श्रवण	एस. डी. ओ. पी.	उत्तीर्ण
6.	श्री पंकज कुमार शुक्ला	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
7.	श्री प्रखर शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-22/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अभिषेक शाण्डिल्य	एस. डी. ओ. पी.	उत्तीर्ण
2.	सुश्री नीतु कमल	सी. एस. पी.	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	सुश्री पारूल माथुर	सी. एस. पी.	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
4.	श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल	ए.एस.सी.	उत्तीर्ण
5.	श्री दावुलूरी श्रवण	एस. डी. ओ. पी.	उत्तीर्ण
6.	श्री पंकज कुमार शुक्ला	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
7.	श्री प्रखर शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-23/गृह दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि प्रश्न पत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री दिलराज प्रभाकर	आई. एफ. एस.	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री राजीव त्यागी	वन परिक्षेत्र अधिकारी	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-24/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि प्रश्न पत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
2.	श्री एम. आर. साहू	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-29/गृह-दो/परीक्षा/2011.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री नान साय मिंज	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-33/गृह-दो/परीक्षा/2011.—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री ओम प्रकाश देशमुख	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री सुरेश कुमार सिंह	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री प्राची मिश्रा	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
4.	सुश्री मधु साहू	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	सुश्री पायल विजय पाण्डेय	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
6.	श्री डोमार सिंह वर्मा	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-43/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा" प्रश्न पत्र-3 (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री दिलराज प्रभाकर	आई. एफ. एस.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-46/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग अधिकारी/कर्मचारी के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "विद्युत संबंधी विधियां" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री अमरेश दास	उप अभियंता	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)	
3.	सुश्री रेखा चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 मई 2011

क्रमांक एफ 9-47/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र-2 "भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण

घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री चन्द्रकांत	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री अमरेश दास	उप अभियंता	उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2011

क्रमांक एफ 9-02/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री वंशपति सिंह	परि. उप पंजीयन	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 मई 2011

क्रमांक एफ 9-06/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी, 2011 को "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी में निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
2.	श्री सौमिल रंजन चौबे	डिप्टी कलेक्टर	मध्यम श्रेणी से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 मई 2011

क्रमांक एफ 9-09/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 एवं 19 जनवरी, 2011 को "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौमिल रंजन चौबे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	सुश्री किरण कौशल	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री सौरभ कुमार	सहायक कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री समीर विश्नोई	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
5.	श्री भीम सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
6.	डॉ. सी. आर. प्रसन्ना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 मई 2011

क्रमांक एफ 9-09/गृह-दो/परीक्षा/2011.—आदिमजाति कल्याण के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र भाग-ए एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नान साय मिंज	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 मई 2011

क्रमांक एफ 9-25/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2011 को प्रश्न पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री बरखा कासू	फिजियोथैरेपिस्ट	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
2.	श्री लादूराम मंडावी	उप अंकेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री लक्ष्मी पटेल	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री फरहीन नाज	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री हिरल व्यास	सुपरवाईजर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	सुश्री विजया मिश्रा	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री रश्मिदेवी वर्मा	पर्यवेक्षिका	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	सुश्री ललति जैन	महिला बाल विकास पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 27 जून 2011

प्र.क्र. 24 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-बोड़ला
(ग) नगर/ग्राम-सेवईकछार, प.ह.नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.656 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
117/2	1.618
117/3	1.619
117/4	1.619
117/5	0.586
117/6	0.809
117/7	0.405
योग	6.656

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकास नगर योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 जून 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1	0.65
	2	0.12
	3	0.05
	5/9	0.10
	269/5	1.50
योग	5	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 जून 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-लोतलोता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.12 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	374/1	0.29
	374/2	0.26
	375/1	0.01
	374/4	0.28
	374/5 क	0.07
	374/5 ख	0.11
	374/5 ग	0.01
	374/5 घ	0.02
	374/6	0.02
	374/7	0.09
	374/8	0.04
	375/2 क	0.01
	394/1	0.07
	375/4	0.06
	375/5	0.26
	394/2 क	0.03
	395/2 ख	0.01
	394/2 ख	0.07
	394/2 ग	0.07
	394/2 घ	0.01
	394/3	0.01
	394/4	0.15
	394/5	0.04
	422/3	0.13
योग	21	2.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसदेव ताप विद्युत गृह के लिए राखड़ बांध हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 जून 2011

भू-अंर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-मड़वामौहा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
72/1 ख	0.08
102/ख	0.10
72/1 ग	2.00
87	0.40
88	1.07
91/2 ख	0.02
102/1 ग	0.20
102/2	0.12
103	0.20
104/2 क	0.04
104/2 ख	0.04
104/2 ग	0.04
104/2 घ	0.04
104/3 क	0.16
104/3 ख	0.16
104/3 ग	0.16
104/3 घ	0.15
107/1	0.12
107/2	0.12
107/3	0.12
107/4	0.12
109	0.54
योग 21	6.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसदेव ताप विद्युत गृह के लिए राखड़ बांध हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 1061/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 05/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
476	1.23
477	0.03
484	0.08
490	0.13
493	0.38
519	0.23

(1)	(2)
520	0.21
525	0.25
526	0.25
527	0.35
528	0.32
योग 11	3.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया आर्मी हेड क्वाटर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 1062/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 02/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-पलौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1501	0.44
1505	0.45
1506	0.18
1507	0.48
1508	0.34
1509	4.10
1511	0.11
1512/1	0.36
योग 8	6.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स हेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 1063/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 08/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं. 137
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
619	0.02
638	0.08
643	0.01
644	0.40
645	0.21

	(1)	(2)
	678	0.07
योग	6	0.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत आई.आई.आई.टी. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 1064/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 11/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-अभनपुर
(ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं. 137/16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	852/1	0.22
	856	0.16
योग	2	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत हास्पिटल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 1065/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 03/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-पलौद, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.69 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1731	0.37
	1766	0.30
	1769	1.02
योग	3	1.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 1066/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 12/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं. 137/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2884	1.87
2889	2.23
2890	2.19
2894/1	2.00
2894/2	1.92
2895/3279	0.61
2896/3286	0.35
योग 07	11.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 जून 2011

क्रमांक/11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवंश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर, छ.ग.
- (ख) तहसील-तख[illegible]
- (ग) नगर/ग्राम-[illegible] प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.68½ एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
46/1	0.27
49/2, 49/5	0.27
46/2	0.46
50/4	0.30
50/3	1.03
183/1 क	0.54
183/1 ख	0.76
183/2 क	0.05
204/2	0.01
187	0.24
279/1	0.33
188	0.42
198	0.03
212/2	0.01½
195/1	0.03
195/3	0.03
195/2	0.01
195/4	0.01
195/5	0.01
196	0.04
197	0.03
199	0.03
200/1	0.01
200/2	0.01
200/3	0.01
201/1	0.02
201/2	0.01
214/2	0.01
255	0.24
202	0.02
203/1	0.02
203/2	0.01
204/1	0.01
204/3	0.01
253	0.48
205	0.02

(1)	(2)
206	0.02
207	0.02
209/1	0.02
209/2	0.01
210/1	$0.01^{1/4}$
210/2	$0.01^{1/4}$
211/1	0.01
254	0.44
211/2	0.01
211/3	0.01
212/1	$0.01^{1/2}$
213/1	0.01
213/2	0.01
252/2	0.27
258	0.19
280	0.82
281	0.22
279/2	0.17
278/1	0.16
278/2	0.17
275	0.56
193	0.02
194/1	0.35
214/1	0.01
215	0.01
216	0.01
217	0.01
218	0.01
221	0.01
222	0.01
234/1	0.01
234/2	0.01
235	0.01
299	0.20
300/1	0.23
300/2	0.57
311/5	0.06
311/6	0.50
327	0.28
310/1	0.50
310/5	0.03
328/2	0.02
328/3	0.31
328/1	0.25
318/11 ख/1	0.25
318/11 ग	0.03
318/11 क	0.07
318/23 क	0.10
318/23 ख/1	0.02
318/24	0.40
426/1	0.23
423	0.11
422/1	0.31
406/2	0.57
405/1	0.05
420	0.29
419/1	0.18
419/2	0.20
418/1	0.17
417	0.14
415	0.24
387/1 ट	0.47
407/3	0.15
416/2	0.12
404/1	0.22
401/1	0.10
404/2	0.20
406/1	0.42
400/1	0.27
योग	$17.68^{1/2}$

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरी तुरकाडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक 9109/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-235.52 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
150/1	0.84
150/2	0.88
150/3	1.04
151	2.60
152/1	0.64
152/2	0.57
152/3	0.79
152/4	1.36
152/5	1.03
153/1	1.00
153/2	0.75
154/1	0.25
154/2	1.16
155/1	0.34
155/2	0.98
155/3	0.33
155/4	0.33
155/5	0.26
155/6	0.33
155/7	0.34
155/8	0.52
163/1	0.54
163/2	0.54
164	1.82
171	0.21
172/1	0.30
172/2	1.06
172/3	0.22
172/4	0.15
172/5	0.45
172/6	0.44
172/7	0.23
173/1	1.22
173/2	2.44
174	1.73
175/1	1.96
175/2	1.10
176	1.20
177/1	2.26
177/2	1.00
177/3	0.52
177/4	0.30
177/5	0.50
177/6	0.12
178/1	2.77
178/2	0.84
178/3	0.83
178/4	0.83
179	0.10
180	0.61
181/356/2	0.40
181/356/3	0.10
181/356/4	0.80
181/356/6	0.15
181/356/7	0.25
181/356/8	0.12
181/356/9	0.15
181/356/10	0.25
181/356/11	0.13
181/356/12	0.15
182/1	0.60
182/2	2.10
183/1	0.50
183/2	0.60
184/1	0.48
184/2	1.50
184/3	1.00
184/4	0.87
184/5	0.50
184/6	0.10
185/1	0.87
185/2	1.00
186/1	0.15
186/2	0.13
186/3	0.28
186/4	0.04
187/1	0.13
187/2	0.13
187/3	0.26
188	1.12
189/1	1.70
189/2	0.17

(1)	(2)	(1)	(2)
190/1	0.80	217/1-3, 217/2-3	0.46
190/2	0.34	218/1	2.00
191/1	0.26	218/2	0.46
191/2	0.51	218/3	0.46
192	1.19	219	1.27
193/1	0.51	220/1	0.38
193/2	0.50	220/2	0.32
194	1.01	220/3	0.60
195	0.62	221/1	0.18
196/1	1.37	221/2	0.40
196/2	0.11	222/1	0.14
196/3	0.11	222/2	2.00
196/4	0.21	222/3	1.45
197	0.74	222/4	0.29
198	0.84	222/5	1.06
199/1	0.17	222/6	0.82
199/2	0.55	222/7	0.25
202/1	0.20	222/8	0.03
202/2	0.20	222/9	0.30
202/3	0.39	222/10	1.13
203/1, 204/2	0.97	222/11	0.47
203/2	0.62	222/12	0.04
204/2	0.18	222/13	0.04
205	0.59	222/14	0.08
206/1	0.07	222/15	0.07
206/2	0.15	222/16	0.14
206/3	0.08	222/17	0.14
206/4	0.14	222/18	0.08
207	0.46	222/19	0.32
208/1	0.47	222/20	0.25
208/2	1.00	222/21	0.30
208/3	0.47	222/22	0.30
208/4	0.48	222/23	0.41
209/1	0.72	222/24	0.46
209/2	0.83	222/25	0.07
209/3	0.16	222/26	0.06
210, 212	1.62	222/27	0.06
211	0.30	222/28	0.11
213/1	0.09	222/29	0.14
213/2	0.50	222/30	0.46
214	0.40	222/31	0.72
215	0.28	222/32	0.24
216/1	0.54	222/33	0.39
216/2	0.54	222/38	0.75
217/1-1, 217/2-1	0.47	222/39	1.07
217/1-2, 217/2-2	0.46	223	2.01

(1)	(2)
224	1.25
225/1	0.49
225/2	0.36
225/3	0.69
225/4	0.17
225/5	0.42
225/6	0.16
225/7	0.06
225/8	0.05
225/9	0.21
225/10	0.50
225/11	0.22
225/12	0.35
225/13	0.17
225/14	0.08
225/15	0.16
225/16	0.16
225/17	0.14
225/18, 225/19	0.35
225/24	0.45
225/25	0.11
225/26	0.49
225/27	0.69
226/1	0.47
226/2	1.13
226/3	0.31
227/1	0.28
227/2	0.34
227/3	0.18
227/4	0.50
227/5	0.42
227/6	0.15
227/7	0.16
227/8	0.16
227/9	0.16
227/10	0.28
228/1	0.25
228/2	0.50
228/3	0.90
228/4	0.03
228/5	0.45
228/6	0.18
228/7	0.37
228/8	0.40
228/9	0.30
229/1	0.85
229/2	0.45
230/1	0.12
230/2	0.35
230/3	0.70
230/4	0.48
231/1	2.29
231/2	1.06
232/1, 234/3	0.69
232/2	0.84
232/3	2.57
233/1	0.46
233/2	0.45
233/358/1	0.10
233/358/2	0.20
234/1	0.12
234/2	1.01
234/4	0.61
235/1, 236/1	0.75
235/2, 236/[illegible]	0.45
235/3, 236/3	0.06
235/4, 236/4	0.13
235/5, 236/5	0.06
237/1	0.13
237/2	0.13
237/3	0.13
237/4	0.13
237/5	0.13
238	0.90
239/1	0.63
239/2	0.57
240	0.39
241	0.51
242/1	0.32
242/2	0.31
243	0.69
244	3.07
245/1	2.99
245/2	0.75
246/1	0.90
246/2	0.50
246/3	0.19
246/4	0.04
246/5	0.50
246/6	0.04
247/1	0.50
247/2	0.35

(1)	(2)
247/3	0.25
247/4	0.50
247/5	0.50
247/6	0.50
248/1	0.24
248/2	0.42
248/3	0.42
248/4	0.46
248/7	0.42
249/1	0.62
250/1	0.25
250/2	0.26
250/3	0.25
251/1	2.51
252	1.00
253/1	1.53
253/2	0.05
254/1	0.20
254/2	0.20
254/3	0.83
254/4	1.85
255	1.15
256	1.28
257/1	0.32
257/2	0.72
258	0.65
259/1	1.62
259/2	0.72
260	1.30
261/1	0.58
262	0.90
263/1	1.12
264/1, 275/1	0.42
264/2	0.12
264/3	0.13
265/1	0.37
265/2	0.24
265/3	0.22
265/4	0.10
265/5	0.07
265/6	0.27
266/1, 268/1	1.22
266/2, 268/2	0.90
267/1	0.40
267/2	1.00
267/3	0.40
269	1.13
270/1, 272/1	1.16
270/2, 272/2	0.45
270/3, 272/3	0.23
270/4, 272/4	0.14
270/5, 272/5	0.39
271	1.23
273	1.54
274/1	0.22
274/2	2.00
275/2	0.79
275/3	0.66
275/4	0.32
276/1	0.60
276/2	0.29
276/3	0.58
276/4	0.13
276/5	0.20
276/6	0.46
276/7	0.06
276/8	0.25
277	2.22
278	1.19
279	0.46
280/1	0.70
280/2	0.87
280/3, 280/4	1.01
281	0.25
282/1	0.40
282/2	0.49
282/3	0.54
283/1	0.57
283/2	0.52
283/3	0.64
283/4	0.69
283/5	0.43
283/6	1.45
283/7	0.43
284	0.20
285/1	0.25
285/2	0.52
285/3	0.30
285/4	0.70
285/5	0.15
285/6	0.30
285/7	0.27
286/1	0.36

(1)	(2)
286/2	0.36
287	1.41
288/1	0.38
288/2	0.19
289/1	0.25
289/2	0.54
289/3	0.36
290/1	0.62
290/2	0.58
290/3	0.08
290/4	0.52
290/5	0.27
290/6	0.07
290/7	0.15
291	0.86
292/1	0.56
292/2, 292/9	1.21
292/3	0.21
292/4	0.25
292/5	0.25
292/6	0.16
292/7	0.20
292/8	0.39
292/10	0.56
292/11	0.76
293	0.68
303/1	0.61
304/1	0.36
304/2	0.71
305	0.84
306	0.31
307/1	0.47
307/2	1.50
308/1	1.79
308/2	0.30
308/3	1.78
309	1.14
310	0.48
311/1	0.14
311/2	0.31
312/1	0.12
312/2	0.48
313/1	0.70
313/2	0.76
315	0.75
316	0.77
357/1	0.07
357/2	0.03
योग 406	235.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/1833.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री डी. एस. कुंजाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मण्डी समिति, धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, वित्त शाखा, जिला-रायपुर के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक/180/छे-5/विलि/2011 दिनांक 06-06-2011 द्वारा [illegible] आरती वासनिक, डिप्टी कलेक्टर, रायपुर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा नियुक्त किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1976) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री डी. एस. कुंजाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर श्रीमती आरती वासनिक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अनिल कुमार साहू,
प्रबंध संचालक.

न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

डभरा, दिनांक 7 जुलाई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 462.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 40 दिनांक 17-02-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कोरबा वेस्ट पावर परियोजना के लिए ग्राम कलमा, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम बड़े भण्डार, तह. पुसौर, जिला रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 15-04-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भू-स्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	2	0.92
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	41/1 क	0.16
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	45	0.11
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	46/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	46/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	49	0.14
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	52/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	52/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	74/1	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	76/1, 76/2	0.56
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	79	0.56
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	84	0.13
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	134	0.01
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	135/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	163	0.05
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	164	0.25
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	167/4	0.11
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	168	0.03
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	179/3	0.13
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	183/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	215	0.07
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	224/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	224/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	224/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	224/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	226	0.24
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	227	0.13
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	229/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	230	0.30
			योग	**5.11**

एस. सी. श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, BILASPUR
Vidhik Seva Marg, Bilaspur (C.G.)

Bilaspur, the 1st July 2011

No. F. N./515/I-4-1/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22B of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987), Chhattisgarh State Legal Services Authority, hereby establishes Permanent Lok Adalat having its headquarters, shown in column No. (1) for the area comprising as shown in column No. (2) in respect of Public Utility Services as defined is Section 22-A of the Legal Services Authority Act, 1987.

S. No. (1)	Name of the Headquarter of Permanent Lok Adalat (Public Utility Services) (2)	Area Comprising of (Civil-District) (3)
1.	Durg	Civil District - 1. Durg 2. Rajnandgaon 3. Kabirdham (Kawardha)
2.	Sarguja at Ambikapur	Civil District - 1. Sarguja at Ambikapur 2. Korea (Baikunthpur)

By order and in the name of the C.G. State Legal Services Authority,
A. K. SINGHAL, Member Secretary.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th June 2011

No. 382/Confdl./2011/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Chhaya Singh Baghel, VII Civil Judge Class-II, Durg, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Chhaya Singh" in place of "Ku. Chhaya Singh Baghel". It is directed that necessary changes be effected in all her records.

Bilaspur, the 27th June 2011

No. 388/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-I & Judicial Magistrates First Class as specified in Column No. (2) of the table below are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No.	Name & Presently posted as	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Rishi Kumar Barman, II Civil Judge Class-I & J.M.F.C., Mahasamund at Saraipali.	Saraipali	Bhilai-3	Durg	Civil Judge Class-I
2.	Shri Harish Kumar Awasthi, II Civil Judge Class-I & J.M.F.C.	Janjgir-Champa	Akaltara	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2011

क्रमांक 3476/तीन-10-8/2000 (V).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-150/तीन-10-8/2000 (V), दिनांक 12 जनवरी, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-1/2003/4462/21-ब/2011, दिनांक 25 जून, 2011 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 02-07-2011 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
				2. नारायणपुर	1	2. नारायणपुर	1
				3. कोंडागांव	1	3. केशकाल	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	7	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	1	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
4.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
5.	दुर्ग	1. दुर्ग	6	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
		2. बालौद	1	2. बालौद	1	2. बालौद	2
		3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	2
				4. पाटन	1	4. साजा	1
				5. गुण्डरदेही	1	5. डोण्डीलोहारा	1
				6. भिलाई-3	1	6. दल्लीराजहरा	1
6.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	1	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	1	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
7.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
				2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	-	-	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
9.	कोरबा	1. कटघोरा	1	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
				2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
				2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
12.	रायगढ़	1. रायगढ़	1	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
13.	रायपुर	1. रायपुर	8	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. बलौदाबाजार	2	2. बलौदाबाजार	1	2. बलौदाबाजार	1
		3. भाटापारा	1	3. गरियाबंद	1	3. गरियाबंद	1
		4. गरियाबंद	1	4. भाटापारा	1	4. राजिम	1
				5. कसडोल	1	5. सिमगा	1
						6. बिलाईगढ़	1
						7. तिल्दा	1
						8. देवभोग	1
						9. भटगांव	1
14.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदन	1
15.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	2	1. अम्बिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. सूरजपुर	1	2. रामानुजगंज	1	2. सूरजपुर	2
				3. सूरजपुर	1	3. वाड्रफनगर	1
				4. प्रतापपुर	1	4. सीतापुर	1
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
				2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1

Bilaspur, the 27th June 2011

No. 3476/III-10-8/2000 (V).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 150/III-10-8/2000 Part-V, dated 12-01-2011, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. F-1-1/2003/4462/21/B/C.G./2011 dated 25-06-2011 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 02-07-2011 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
				2. Narayanpur	1	2. Narayanpur	1
				3. Kondagaon	1	3 Keshkal	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Bilaspur	1. Bilaspur	7	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	1	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
				4. Bilha	1	4. Kota	1
						5. Lormi	1
						6. Marwahi	1
						7. Takhatpur	1
3.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	1	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	1	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
4.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
	Durg	1. Durg	6	1. Durg	3	1. Durg	12
		2. Balod	1	2. Balod	1	2. Balod	2
		3. Bemetara	1	3. Bemetara	1	3. Bemetara	2
				4. Patan	1	4. Saja	1
				5. Gunderdehi	1	5. Dondilohara	1
				6. Bhilai-3	1	6. Dallirajhara	1
	Janjgir-Champa	1. Janjgir	1	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	1	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
				2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
	Kabeerdham (Kawardha)	--	--	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
	Korba	1. Katghora	1	1. Korba	2	1. Korba	1
				2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
	[illegible] ([illegible])	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
	[illegible]	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
				2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
	[illegible]	1. Raigarh	[illegible]	1. Raigarh	2	1. Raigarh	[illegible]
		2. Sarangarh		2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Raipur	1. Raipur	8	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Balodabazar	2	2. Balodabazar	1	2. Balodabazar	1
		3. Bhatapara	1	3. Gariyaband	1	3. Gariyaband	1
		4. Gariyaband	1	4. Bhatapara	1	4. Rajim	1
				5. Kasdol	1	5. Simga	1
						6. Bilaigarh	1
						7. Tilda	1
						8. Devbhog	1
						9. Bhatgaon	1
14.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
				3. Dongargarh	1	3. Khairagarh	1
				4. Khairagarh	1	4. Chhuikhadan	1
15.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Surajpur	1	2. Ramanujganj	1	2. Surajpur	2
				3. Surajpur	1	3. Wadrafnagar	1
				4. Pratappur	1	4. Sitapur	1
16.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
				2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1

Bilaspur, the 27th June 2011

No. 3483/III-6-2/2007.— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Anand Prakash Dixit, Judicial Magistrate First Class.	Baloda Bazar	Raipur
2.	Ku. Radhika Saini, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
3.	Ku. Smita Ratnawat, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
4.	Ms. Deepa Katare, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
5.	Smt. Vibha Pandey, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
6.	Shri Avinash Kumar Tripathi, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Shri Vinay Kumar Pradhan, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
8.	Smt. Kiran Thawait, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
9.	Shri Bhupendra Kumar Vasnikar, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
10.	Shri Mohan Singh Korram, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
11.	Shri Pankaj Alok Tirky, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
12.	Smt. Monika Jaiswal, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
13.	Shri Damarudhar Chouhan, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
14.	Shri Jitendra Kumar Singh, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
15.	Shri Siddharth Aggarwal, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
16.	Shri Krishna Kumar Suryawanshi, Judicial Magistrate First Class.	Tilda	Raipur
17.	Shri Balram Kumar Dewangan, Judicial Magistrate First Class.	Bacheli	Dakshin Bastar Dantewara.

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 31st May 2011

No. 370/L.G./2011/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 08 days from 13-06-2011 to 20-06-2011 along with permission to remain out of headquarters, in continuation of his summer vacation from 06-06-2011 to10-06-2011 with suffix holidays of 11th & 12th June, 2011 (2nd Saturday & Sunday).

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 236 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
RAJESH SHRIVASTAVA, Additional Regis

Bilaspur, the 23rd June 2011

No. 375/L.G./2011/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, Judge, Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 04 days from 22-06-2011 to 25-06-2011 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 66 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 23rd June 2011

No. 376/L.G./2011/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, District & Session Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 07 days from 21-06-2011 to 27-06-2011 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 229 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.